(5)

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
(पुरातत्व निदेशालय)

अधिसूचना

पटना, दिनांक..........

सं0 5पुरा/सु.–1–01/16/---- राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (पुरातत्व निदेशालय) की अधिसूचना संख्या–109, दिनांक 06.02.2018 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थलों /स्मारकों लखीसराय जिलान्तर्गत लखीसराय प्रखण्ड के लाली पहाड़ी (जयनगर), बालगुदर गढ़ (टीला), रामगढ़ चौक प्रखण्ड के सतसण्डा पहाड़ (नोनगढ़), चानन प्रखण्ड के घोषीकुंडी पहाड़, बिछवे पहाड़ एवं सूर्यगढ़ा प्रखण्ड के लय को प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष के रूप में सुरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव "बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कलानिधि अधिनियम, 1976" की धारा–3 की उपधारा–1 के प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित कर किया गया था, जिसकी एक प्रति उक्त प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेष के निकट स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थल पर चिपका दी गई थी तथा इसके लिए दो माह की अवधि के अन्दर आपत्ति अथवा सुझाव आमंत्रित किए गये थे।

जनता को उपलब्ध कराई गई उक्त राजपत्रित अधिसूचना के विरूद्ध बालगुदर गढ़ (टीला) को छोड़कर किसी अन्य स्थान से कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। सम्यक विचारोपरान्त ऊपर वर्णित पुरास्थलों /स्मारकों में से बालगुदर गढ़ (टीला) को छोड़कर शेष अन्य स्थलों को सुरक्षित घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अतएव एतद् द्वारा राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट लखीसराय प्रखण्ड के लाली पहाड़ी (जयनगर) एवं चानन प्रखण्ड के बिछवे पहाड़ को स्मारक के रूप में जबकि रामगढ़ चौक प्रखण्ड के सतसण्डा पहाड़ (नोनगढ़), चानन प्रखण्ड के घोषीकुण्डी पहाड़ एवं सूर्यगढ़ा प्रखण्ड के लय को पुरातात्विक स्थल के रूप सुरक्षित घोषित करती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(मीना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक .... पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु सी0डी0 के साथ प्रेषित।

ह0/–

(मीना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 199 पटना, दिनांक 2/7/18

प्रतिलिपिः–बिहार राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, पुरातत्व, बिहार/जिलाधिकारी, लखीसराय/अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना, अंचल, पटना/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लखीसराय/रामगढ़ चौक/चानन/सूर्यगढ़ा एवं अंचलाधिकारी, लखीसराय/ रामगढ़ चौक/चानन/सूर्यगढ़ा जिला लखीसराय तथा विभागीय आई. टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/7/18

(मीना कुमारी)
सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित किये जानेवाले प्राचीन स्मारक /पुरातात्विक स्थल/अवशेष की राजस्व विवरणी

क्र	पुरास्थल/ स्मारक का नाम	अवशेष	खाता	खेसरा	रकवा		चौहद्दी	जमीन की किस्म	ग्राम	मौजा	प्रखंड	थाना	थाना न0	जिला	अभ्युक्त
					एकड़	डी									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	लाली पहाड़ी (जयनगर)	पुरातात्विक अवशेष	573	1514	47	14	उ0– काली पहाड़ी द0– सीमाना हसनपुर ग्राम पू0– किउल नदी प0– लखीसराय सड़क	पहाड़	जयनगर	जयनगर	लखीसराय	लखी सराय	124	लखी सराय	
2	सतसंडा पहाड़ (नोनगढ़)	चतुर्भुज स्थान	322	1282	102	80	उ0– सड़क खेसरा न0–1281 द0– सिमाना सिलवे एवं खेसरा न0–1288, 1284,1289 पू0– खेसरा न0–1000 प0– ग्रामीण सड़क	पहाड़ (गै0म0 मालिक)	सतसंडा	सतसंडा	रामगढ़ चौक	हलसी	187	लखी सराय	
3	घोषीकुंडी पहाड़	–	35	578	12	90	उ0– मुसहरी टोला द0– खेसरा न0–400 पू0– सड़क प0– किउल नदी	पहाड़	घोषीकुण्डी	घोषीकुण्डी	चानन	चानन	84	लखी सराय	
4	बिछवे पहाड़	–	161	781	2	72	उ0– रेलवे लाईन द0– मौजा मर्दचक पू0– मौजा सिंगारपुर प0– रेलवे लाईन	पहाड़	बिछवे	बिछवे	चानन	चानन	18	लखी सराय	
5	लय	–	533	892	3	40	उ0– रैयती भूमि हरि सिंह वगैरह द0– रैयती भूमि नागेश्वर सिंह वगैरह पू0– रैयती भूमि पंकज कु0 वगैरह प0– पंचायत भवन, दुर्गा मंदिर	पहाड़	लय	लय	सूर्यगढ़ा	कजरा	–	लखी सराय	

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मीना कुमारी)

सरकार के उप सचिव।